[illegible] स्वास्थ्य
[illegible] परिवार कल्याण ([illegible]) सेवायें
स्वास्थ्य [illegible] मार्ग, जयपुर

क्रमांक एफ. 12 (9)/एन.आर.एच.एम./[illegible]/153 दिनांक 9.1.09

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
समस्त जिले।

विषय :- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत आयुष इंटीग्रेशन को प्रभावी बनाये जाने के क्रम में दिशा–निर्देश।

विषयान्तर्गत लेख है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2007–08 में 750 आयुष चिकित्सकों एवं 750 कनिष्ठ आयुर्वेद नर्स/कम्पाण्डर्स के पदों पर एक ही छत के नीचे सभी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने एवं सभी राष्ट्रीय कार्यक्रमों में आयुष की सहभागिता सुनिश्चित किये जाने के लिए की गई है। आयुष चिकित्सा पद्धतियों को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के उद्देश्यों के अनुरूप मुख्य धारा में लाने के लिए निम्नांकित निर्णय लिये गए हैं, जिनकी पालना किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

1. आयुष चिकित्सा पद्धतियों को एनआरएचएम के उद्देश्यों के अनुसार मुख्य धारा में लाने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत कार्यरत आयुष चिकित्सकों एवं आयुर्वेद नर्स कम्पाउण्डर्स का तत्काल प्रशिक्षण आयुर्वेद विभाग द्वारा शुरू किया जाये, जिसमें आयुष दवाओं के उपयोग, राष्ट्रीय कार्यक्रमों में सहभागिता, आयुष इंटीग्रेशन उद्देश्यों के बारे में प्रशिक्षित किया जाये।
2. सभी जिला स्तर पर आयुष इंटीग्रेशन की समीक्षा हेतु आयुष चिकित्सकों की मासिक बैठक प्रमुख शासन सचिव आयुर्वेद या आयुर्वेद निदेशक की अध्यक्षता में आयोजित की जाये, जिसमें एनआरएचएम के प्रतिनिधि के साथ साथ जिला आयुर्वेद अधिकारी, तकनीकी एवं उप चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रशासनिक नियंत्रण अधिकारी भी उपस्थित होंगे।
3. जिन प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर आयुष चिकित्सक का पदस्थापन किया गया है, वहां तत्काल प्रभाव से "आयुष चिकित्सा केन्द्र"– आयुर्वेद/होम्यो./यूनानी का बोर्ड लगाया जावे एवं न्यूनतम एक कक्ष आयुष चिकित्सक को पृथक् से उपलब्ध कराया जावे।
4. जिन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर पूर्व से ही आयुर्वेद विभाग द्वारा संचालित औषधालय हैं, वहां पर एनआरएचएम के अन्तर्गत उसी चिकित्सा पद्धति के चिकित्सक का पदस्थापन नहीं किया जावे। अतः जिन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों वाले गांवों में आयुर्वेद विभाग द्वारा संचालित औषधालय है, वहां पर यदि एनआरएचएम के अन्तर्गत आयुष चिकित्सक का पदस्थापन कर दिया गया है, तो उस प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर पदस्थापित आयुष चिकित्सक का स्थानान्तरण उस प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर कर दिया जाये, जहां कि उस पैथी का कोई भी चिकित्सक कार्यरत नहीं है, ताकि एक ही केन्द्र (गांव) में दो चिकित्सक एक ही चिकित्सा पद्धति में पदस्थापित नहीं हो जावें।
5. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत पदस्थापित आयुष चिकित्सकों एवं आयुर्वेद नर्स/कम्पाउण्डर्स को डिलेवरी (प्रसव संबंधी) के लिए प्रशिक्षित किया जाए एवं इस हेतु आत्ययिक अवस्था में जीवन रक्षक एलोपैथ औषधियों के बारे में भी जानकारी उपलब्ध करवाई जावे, ताकि इनकी सहभागिता जननी सुरक्षा योजना में भी प्रभावी रूप से की जा सके।

[illegible]

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य
एवं परिवार कल्याण (एन.आर.एच.एम.) सेवाएं
स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, जयपुर

6 राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत पदस्थापित आयुर्वेद नर्स/कम्पाउण्डर्स को "स्किल बर्थ अटेन्डेन्ट" का प्रशिक्षण चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से दिलवाया जाए, ताकि स्वास्थ्य केन्द्रों पर होने वाले प्रसवों में सक्रिय सहभागिता हो सके।

7 राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत पदस्थापित आयुष चिकित्सकों एवं नर्सिंग कार्मिकों के प्रभावी तकनीकी निरीक्षण के लिए सभी जिला आयुर्वेद अधिकारी माह में 4 दिन आवश्यक रूप से निरीक्षण करेंगे। जिसमें प्रत्येक माह में कम से कम 5 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं 5 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निरीक्षण आवश्यक रूप से किया जावें। निरीक्षण हेतु "निरीक्षण मापदण्ड" आयुर्वेद विभाग तैयार कर सभी जिला आयुर्वेद अधिकारियों को उपलब्ध कराएंगे।

8 नियमित टीकाकरण कार्यक्रम, वी.एच.एस.सी. (विलेज हैल्थ एंड सेनिटेशन कमेटी), आशाओं का निरीक्षण, एम.सी.एच.एन. (मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य) दिवस में आयुष सहभागिता, कॉपर–टी आदि में आयुष चिकित्सकों एवं नर्सिंग कार्मिकों को भी जोड़ा जाए।

9 आयुष को मुख्य धारा में लाने के लिए मापदंडों का निर्धारण कर आयुर्वेद विभाग शीघ्र तैयार करेगा, ताकि आयुष इंटीग्रेशन को और प्रभावी बनाया जा सके।

10. एनआरएचएम के अन्तर्गत संचालित आयुष केन्द्रों पर पदस्थापित आयुष चिकित्सकों एवं नर्सिंग कार्मिकों को स्वास्थ्य चेतना यात्राओं, मेगा कैम्पों, आयुर्वेद विभाग द्वारा आयोजित क्षार सूत्र कैम्पों में भी जोड़ा जाए।

प्रमुख शासन सचिव,
आयुर्वेद एवं भारतीय औषध विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर

सचिव, प.क. एवं मिशन निदेशक
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन
राजस्थान जयपुर

क्रमांक: एफ–12 (9)/एन.आर.एच.एम./आयुष/08/153 दिनांक: 9.1.09

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय औषध विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, सचिव, प.क. एवं मिशन निदेशक, एन.आर.एच.एम., जयपुर।
4. निदेशक, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान अजमेर।
5. समस्त जिला आयुर्वेद अधिकारी, आयुर्वेद विभाग।
6. कन्सलटेन्ट, ट्रेनिंग, एनआरएचएम, जयपुर।
7. प्रभारी, सर्वर रूम।
8. रक्षित पत्रावली।

सचिव, प.क. एवं मिशन निदेशक
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन
राजस्थान जयपुर